# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्र010/वि0प्र0मि0–07/2015 3179 खाद्य, पटना/दिनांक– 27.05.16

प्रेषक,

डॉ0 दीपक प्रसाद,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रमादी मिलरों के विरूद्ध लंबित नीलाम–पत्र वाद के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 13.05.2016 को प्रमादी मिलरों के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध 67 प्रतिशत सी0एम0आर0 वापस नही किये जाने के फलस्वरूप समतुल्य राशि की वसूली से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में परिलक्षित हुआ है कि कतिपय जिला प्रबंधकों द्वारा पी0डी0आर0 एक्ट की धारा – 5 के अनुसार सभी सूचना अंकित नही किये जाने तथा निलाम पत्र वाद पदाधिकारियों द्वारा पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 7,9,10,12,13,14,15,17 में निहित प्रक्रिया पूरी नही किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलाम पत्र वाद की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है।

विदित हो, कि प्रमादी मिलरों के विरूद्ध बकाया सी0एम0आर0 के समतुल्य राशि वसूल किये जाने हेतु सरकार कृत संकल्पित है और इसकी समीक्षा प्राथमिकता के आधार पर मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर किया जाता है। जिलों में पी0डी0आर0 एक्ट की उपर्युक्त धाराओं का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर नही किये जाने के कारण प्रमादी मिलरों से बकाया राशि की वसूली में विलंब की स्थिति बनी हुई है। समीक्षोपरांत दिनांक 13.05.2016 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलों को पी0डी0आर0 एक्ट की धाराओं के संबंध में विस्तृत सूचना प्रेषित की जाय, जो निम्नवत है :–

1. संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रमादी मिलरों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध पी0डी0आर0 एक्ट की धारा – 05 के तहत Requisiton Form no. 2 में सभी आवश्यक सूचना अंकित कर जिला निलाम वाद पदाधिकारी के समक्ष मामला दर्ज की जानी है।
2. जिला निलामवाद पदाधिकारी के समक्ष दर्ज की गयी Requisition फार्म के जॉचोपरांत पी0डी0आर0 एक्ट की धारा – 7 के तहत देनदार मिलरों/कर्मियों को नोटीस एवं सर्टिफिकेट उक्त धारा के अंतर्गत निर्गत करेंगे एवं 30 दिनों के अंदर पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 09 के अनुरूप देनदार मिलर/कर्मी अपना आपत्ति समर्पित करेंगे। यदि देनदार अपना पक्ष दायर करते है, या नही करते है, दोनों ही स्थिति में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा Requisition दावे में साक्ष्य सहित अपना लिखित जबाव संबंधित जिला निलामवाद पदाधिकारी के समक्ष समर्पित की जानी है।
3. उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात संबंधित निलामपत्र वाद पदाधिकारी को पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 10 के तहत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करनी है तथा सुनवाई कर सकारण आदेश पारित करनी है। इसके अतिरिक्त पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 17 अंतर्गत जिला निलामवाद पदाधिकारी को धारा 10 के तहत पारित आदेश के आलोक में देनदारों से भुगतान करने हेतु निर्देश देने का भी प्रावधान है।
4. पी0डी0आर0 एक्ट की धारा – 10 में निहित प्रावधानानुसार पारित आदेश एवं धारा – 17 अंतर्गत देनदारों को भुगतान करने का निर्देश दिये जाने के पश्चात संबंधित निलामवाद पदाधिकारी का दायित्व है कि पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 12 (Execution of Certificates), 13,14,15 (Mode of Execution) के तहत प्रमादी मिलर/कर्मियों द्वारा बंध पत्र के तहत रखी गयी अचल संपति की निलामी करते हुए बकाया राशि की वसूली करने की कार्रवाई करे। साथ ही पी0डी0आर0 एक्ट की धारा 15 के तहत बकायेदारों की गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि जिला स्तर पर पी0डी0आर0 एक्ट अंतर्गत निलामवाद की कार्रवाई हेतु अपनायी जा रही प्रक्रियात्मक त्रुटि में उपर्युक्त वर्णित पी0डी0आर0 एक्ट की धाराओं से संबंधित प्रक्रियात्मक सुधार हेतु जिला अंतर्गत सभी निलामपत्र वाद पदाधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट किया जाय। साथ ही जिलो में पदस्थापित सभी जिला प्रबंधकों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कार्रवाई की जाय, जिससे प्रमादी मिलरों से बकाया राशि की वसूली ससमय हो सके।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र010/वि0प्र0मि0–07/2015 - 3179 खाद्य, पटना/दिनांक 27.05.16

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया उपर्युक्त प्रावधानों के संबंध में अपने स्तर से भी सभी जिला प्रबंधकों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रधान सचिव।